# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 62/2022

दिनांक : 7/4/2022

अशिवनी पिता रूपनारायण जाति कराडिया उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरनगर तहसील व जिला जयपुर राज0।

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. रमेश पिता हजारी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. ओमप्रकाश पिता मोहनलाल जाति लखारा उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

.....विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट**

**– : आदेश : –** दिनांक 7/4/2022

प्रार्थना पत्र हम अशिवनी पिता रूपनारायण जाति कराडिया उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरनगर तहसील व जिला जयपुर राज0। जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 4 **पर अंकित आराजी नम्बर 349/65 कुल किता 1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भुमि** स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक **बिजौलिया कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रू की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 4 **पर अंकित आराजी नम्बर 349/65 कुल किता 1 रकबा 1.6187 हैक्टेयर भुमि जो** बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया